न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

(40)

Rs. 30/—

R 5493-II/16

1— रामपति पिता हुब्बलाल

2— राजकुमार पिता श्री रामवती

3— बल्लू पिता श्री रामपती

4— गुलाबकली पत्नी श्री रामवती

अधिवक्ता श्री रामजीत तिवारी द्वारा प्रस्तुत 10-11-16

सर्किट कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

समी निवासी ग्राम कलवारी, तहसील–त्योंथर, जिला–रीवा म0प्र0

—————आवेदकगण

बनाम

1— श्यामलाल तनय स्व0 बद्री पटेल

2— सरयू तनय स्व0 बद्री पटेल

3— राजा तनय स्व0 बद्री पटेल

4— जानकी तनय स्व0 बद्री पटेल

5— सुरेश तनय श्यामलाल पटेल

सभी निवासी ग्राम कलवारी, तहसील त्योंथर जिला रीवा (म.प्र.)

—————गैरनिगरानीकार्ता / अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार तहसील त्योंथर वृत्त चाक प्र0क्र0 4 / ए 70 / 2016—17 दिनांक 13 / 10 / 2016

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 5493–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–05–2017	आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता के बिन्दु पर पर सुना गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार त्योंथर वृत्त चाक प्र0क0 4/ए–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 13–10–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जिसको नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 13–10–16 को प्रकरण दर्ज कर अनावेदकगण को तलब कर स्थगन आदेश जारी करने के साथ ही पटवारी से स्थल नाप कर बिन्दुवार रिपोर्ट लिये जाने के आदेश दिये हैं। आवेदकगण अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क कि अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी न होने हुये भी बेदखली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिसे नायब तहसीलदार ने पंजीबद्ध कर स्थगन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पश्चात आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत न करते हुये इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव/पक्ष रखें। अधीनस्थ न्यायालय को भी यह निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत जबाव पर विचार कर सकारण आदेश पारित करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	